भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 32

दिनांक 04 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की योजना

***32 श्री सतीश चंद्र दुबे:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मातृ मृत्यु दर में कमी लाने और बच्चों तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और आगामी दो वर्ष के लिए तय किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

***

'मातृ मृत्यु दर में कमी लाने की योजना' के संबंध में श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2021 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सरकार द्वारा देश में मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में आने वाली प्रत्येक महिला एवं नवजात को सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखरेख प्रदान करना है।
- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), मांग संवर्धन एवं सशर्त नकद अंतरण योजना है जिसका उद्देश्य संस्था में प्रसव को बढ़ावा देना है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), जिसके तहत प्रत्येक गर्भवती महिला नि:शुल्क परिवहन, डायगनोस्टिक, दवाएं, अन्य उपभोज्य वस्तुओं एवं आहार के प्रावधान के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था में सीजेरियन सेक्शन सहित नि:शुल्क प्रसव की हकदार है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) हर माह की 9 तारीख को जांच एवं दवाओं सहित प्रसव पूर्व देखरेख सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान करता है।
- मातृत्व मृत्यु निगरानी समीक्षा (एमडीएसआर) का उद्देश्य देश में प्रत्येक मातृत्व मौत की रिपोर्टिंग एवं समीक्षा सुनिश्चित करना है।
- मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अवसंरचना अंतरालों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है :
    - ❖ देखरेख के प्रबंधन एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिक केस लोड वाली सुविधाओं में जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग।
    - ❖ दुर्गम क्षेत्रों में संस्था में सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए बर्थ वेटिंग होम।
    - ❖ व्यापक आरएमएनसीएएच+ए सेवाओं के प्रावधान के लिए अवसंरचना, उपकरण एवं प्रशिक्षित जन शक्ति के संबंध में देश में 25 हजार से अधिक 'प्रसव केंद्रों' का सुदृढ़ीकरण।
    - ❖ जनशक्ति, रक्त भंडारण यूनिटों, रेफरल लिंकेजों आदि जैसे महत्वपूर्ण घटकों का सुनिश्चय करके आपातकालीन प्रसूति देखरेख प्रदान करने के लिए प्रथम रेफरल यूनिट को कार्यशील बनाना।
- जच्चा-बच्चा देखरेख सेवाओं के प्रावधान के लिए मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवसों (वीएचएसएनडी) के माध्यम से सामुदायिक पहुंच।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण पहल का कार्य किया जाता है।
- बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता की समस्या को दूर करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम।

आंगनवाड़ी सेवाओं के पूरक-पोषण कार्यक्रम के तहत बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्म पका भोजन तथा घर ले जाने वाला राशन दिया जाता है। सामुदायिक जुटाव (जन

आंदोलन) तथा अभिसरण की गतिविधियों के तहत पोषण के परिणामों में और सुधार लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

***